त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए

शिक्षाकर्मी भरती प्रक्रिया एवं नियम

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(मंत्रालय)

क्र. एफ–4–328/93/1/25 भोपाल, दिनांक 1–7–95

प्रति,

1. आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—त्रि–स्तरीय पंचायतों में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकारों के अधीन शिक्षाकर्मी भरती हेतु प्रक्रिया एवं योग्यता के मापदण्ड.

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राज्य के त्रि–स्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त सहायक शिक्षक, शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के पदों पर भरती की कार्यवाही अब संबंधित पंचायतों द्वारा शिक्षा कर्मी के रूप में की जावेगी. इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए शिक्षाकर्मी भरती हेतु प्रक्रिया एवं योग्यता के मापदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं. कृपया वर्तमान सत्र से निर्धारित की गयी प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार शिक्षाकर्मियों की भरती की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे.

सही./–
(एल. एन. मीणा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पंचायतों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अधीन शिक्षाकर्मी भरती हेतु प्रक्रिया एवं योग्यता के मापदण्ड

राज्य शासन द्वारा आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4/328/94/1/25, दिनांक 1-4-95 द्वारा शिक्षाकर्मियों की भरती हेतु पंचायतों को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये हैं. इसके लिये प्रक्रिया एवं योग्यता के निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :—

1. **न्यूनतम अर्हता :**

1.1 शिक्षाकर्मी नियुक्त होने के लिये किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी :—

(1) सहायक शिक्षक पद के लिये	—	हायर सेकेण्ड्री
(2) शिक्षक पद के लिये	—	संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि
(3) व्याख्याता	—	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी.एड. उपाधि.

टीप:—उपरोक्त बी.एड. उपाधि की अनिवार्यता में छूट निम्नानुसार रहेगी :—

(1) आदिवासी एवं अनुसूचित जाति हेतु—समस्त विषयों के लिये.

(2) सामान्य वर्ग हेतु (पिछड़ा वर्ग सहित)—कृषि, कामर्स, अंग्रेजी, विज्ञान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संबंधी विषय.

सहायक शिक्षक हेतु हायर सेकेण्ड्री, शिक्षक हेतु संबंधित विषय की उपाधि तथा व्याख्याता हेतु संबंधित विषय का स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. परन्तु, बी.टी.सी./बी.एड. उम्मीदवारों का सर्वप्रथम चयन किया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे/अपूर्ण पाठ्यक्रम वाले उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. यदि एक से अधिक बी.एड/बी.टी.सी. उत्तीर्ण उम्मीदवार हो, तो सर्वप्रथम सर्वाधिक अंक वाले उम्मीदवार को लिया जाएगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्ह बी.एड./बी.टी.सी. उत्तीर्ण उम्मीदवारों के पूर्णतः चयन हो जाने के पश्चात्, यदि रिक्तियां फिर भी बची रहती हैं, तो उस स्थिति में ही, शेष गैर बी.एड./बी.टी.सी. उम्मीदवार, जो न्यूनतम अर्हता रखते हों, उन्हें मेरिट क्रम अनुसार लिया जा सकेगा.

1.2 नियुक्तिकर्ता जनपद/जिला पंचायत ऐसी अन्य शर्तें उम्मीदवारी हेतु लगा सकेंगी, जो शिक्षा के लोकव्यापीकरण के व्यापक हित में हो, परन्तु ऐसी शर्तें, उपरोक्त अर्हताओं एवं आगे दी गई प्रक्रिया के मापदण्डों के विपरीत नहीं होना चाहिए.

1.3 प्रत्येक उम्मीदवार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा आवेदन के साथ ही उसका पंजीयन क्रमांक दर्शाया जाना चाहिए.

1.4 शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों को शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी.

2. **शिक्षाकर्मियों की चयन प्रक्रिया :**

2.1 सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण से सहायक शिक्षक एवं शिक्षक तथा संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास से व्याख्याता के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जनपद/जिला पंचायत ऐसी रिक्तियों को भरने की कार्यवाही के लिये प्रक्रिया आरंभ करेगी. कुल रिक्तियों की संख्या के आधार पर वह संख्या निर्धारित की जावेगी, जो कि आरक्षण द्वारा भरे जाने हैं, अ.जा./अ.ज.जा/पि.व. हेतु यह आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-26-93-1-आप्र-569, दिनांक 2-8-94 (राजपत्र दिनांक 19-8-94) द्वारा जिले के लिये निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होगा. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक संबंधित नियुक्तिकर्ता जनपद/जिला पंचायत को जिले के निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत सूचित करेंगे.

2.2 अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित पदों को शामिल करते हुए कुल पदों को 30 प्रतिशत पद महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे. पात्र महिला उम्मीदवार नहीं मिलने पर महिला हेतु आरक्षित पद उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार से भरा जा सकेगा, जिस श्रेणी के लिये वह पद मूल रूप से आरक्षित था. परन्तु सर्वप्रथम जब शिक्षाकर्मी के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया जावेगा, जो उसमें उपरोक्तानुसार 30 प्रतिशत पद अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिये ही आरक्षित दर्शाए जाएंगे. चयन प्रक्रिया के दौरान यदि इन पदों पर महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उनकी जगह उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार को मेरिट क्रम अनुसार चयन किया जा सकेगा.

2.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिये उपरोक्त कंडिका 2.1 अनुसार प्रत्येक श्रेणी की कुल रिक्तियां निर्धारित की जावेंगी, व्याख्याताओं के लिये जिला पंचायत में प्राप्त कुल रिक्तियों की सूचना पर जिला पंचायत के क्षेत्र के लिये ऐसे कुल आरक्षित पदों की गणना की जावेगी. सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के लिये संबंधित जनपद पंचायत के क्षेत्र की कुल रिक्तियों के आधार पर ऐसे आरक्षित पदों की गणना की जावेगी.

जिला/जनपद पंचायतों के क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों की सूची अ.ज.जा. जनसंख्या अनुसार अवरोही क्रम में बनाई जाएगी. ऐसी सूची बन जाने के बाद प्रत्येक ग्राम में पंचायत में रिक्त पद वाले स्कूलों को इस ग्राम के हिन्दी नाम के वर्णानुक्रम से सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें वह स्कूल स्थित है. तत्पश्चात् जिला/जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल आरक्षित पदों को सीरियल क्रमांक 1 की पंचायत के स्कूलों से आरंभ करते हुए अवरोही क्रम सूची में तब तक आवंटित किया जाएगा, जब तक आरक्षित पद पूर्ण न हो जाए. ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने भी स्कूलों में पद रिक्त हों, प्रत्येक स्कूल में एक पद प्रथम दौर में आवंटित किया जाएगा. ऐसा करते हुए सूची अंत तक समाप्त हो जाए, परन्तु आरक्षित पद शेष रहें, तो पुनः सूची के सीरियल क्रमांक 1 की ग्राम पंचायत से द्वितीय दौर शुरू किया जाएगा तथा प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जब तक आरक्षित पद समाप्त न हो जाएं

2.4 अनुसूचित जाति हेतु ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसार अवरोही क्रम सूची बनाई जाएगी तथा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर पूर्ण किया जाएगा.

2.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण उपरोक्तानुसार पूर्ण होने के पश्चात् जिला/जनपद पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध कुल पिछड़े वर्ग के पदों को लाट डालकर आरक्षित किया जाएगा. इस प्रक्रिया में अनुसूचित/जनजाति के आरक्षित पदों को घटाने के बाद शेष रिक्त पदों के लिये पदवार पर्चियां बनाकर उसमें से लाट निकाला जाएगा. उदाहरणार्थ आरक्षित पद घटाने के बाद, शाला में चार सहायक शिक्षक के पद रिक्त रहते हैं, तो उस शाला के नाम की चार पर्चियां लाट में डाली जाएंगी. लाट में से पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित पदों के लिये ड्रा जिला/जनपद पंचायत की स्थाई शिक्षा समिति के समक्ष मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निकाला जाएगा.

2.6 सहायक शिक्षकों के पदों हेतु महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक श्रेणी में (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य) लॉट डालकर सुनिश्चित होगा. इसके लिये सर्वप्रथम प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित कुल पदों की पदवार पर्चियों से लॉट बनाया जाएगा तथा इनमें से ड्रा निकाल कर 30 प्रतिशत पद महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे.

उपरोक्त प्रक्रिया ही शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के आरक्षण हेतु भी सुनिश्चित की जाएगी.

2.7 भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों हेतु आरक्षण की वर्तमान नीति का पूर्णतः पालन किया जाएगा.

2.8 वर्तमान नीति के तहत यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के पद के लिये अपनी मेरिट पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित पदों में नहीं गिना जाएगा. अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. हेतु आरक्षित पदों के अलावा भी सामान्य श्रेणी के पदों पर अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. अपनी मेरिट पर आ सकते हैं.

3. **विज्ञापन :**

3.1 जनपद/जिला पंचायत अपने क्षेत्र में रिक्तियों के आधार पर स्कूलवार, पदवार, विषयवार रिक्तियां आरक्षण दर्शाते हुए, विज्ञापित करेंगी. इसमें यह स्पष्ट दर्शाया जाएगा कि कौन से पद किस श्रेणी में आरक्षित हैं. इनमें न्यूनतम अर्हता, मानदेय आदि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा. सुविधा के लिये विज्ञापन का प्रारूप (परिशिष्ट-1) संलग्न किया गया है.

3.2 आवेदनकर्ताओं के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा. विज्ञापन क्षेत्र के एक प्रमुख समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जावेगा. विज्ञापन को शालाओं में, पंचायत कार्यालयों में, विकासखण्ड, तहसील एवं कलेक्टर कार्यालय के सूचना-पटल पर प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जावेगा. विज्ञापन की प्रतियां सरपंच एवं रोजगार कार्यालय को भी भेजी जावेंगी. विज्ञापन को अधिक से अधिक प्रसारित करने के प्रयास किए जाएंगे.

4. **आवेदन-पत्रों की प्राप्ति एवं जांच :**

4.1 आवेदन-पत्रों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा. आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्ति की पावती दी जावेगी, जिसमें सहपत्रों का स्पष्ट उल्लेख होगा. संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्रों को पंजीयत किया जावेगा व उनका परीक्षण किया जावेगा. परीक्षण कार्य में जनपद/जिला पंचायत द्वारा क्रमश: विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/आदिमजाति कल्याण, सहायक आयुक्त/आदिवासी, विकास से सहायता ली जावेगी. प्रारंभिक परीक्षण के उपरान्त वैध आवेदन-पत्रों को सूचीबद्ध किया जावेगा तथा अवैध आवेदन-पत्रों को उसी समय निरस्त किया जावेगा, जिन आवेदन-पत्रों को निरस्त किया जावेगा, उनमें निरस्ती के कारण आवेदन-पत्र पर अंकित किए जाएंगे. वैध सूची संबंधित ग्राम पंचायत को भेजकर 7 दिन के अंदर आवेदकों का सत्यापन कराया जायेगा.

4.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/जिला पंचायत द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक आ.जा.क./सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की सहायता से शालावार आवेदकों की मेरिट सूची कंडिका 1.1 में दिए निर्देशानुसार बनाई जाएगी. योग्यताक्रम सूचियों का विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा परीक्षण किया जायेगा व सत्यापित कर उन्हें संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा. योग्यता क्रम त्रुटिहीन हों, यह देखने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा. सूचियों की त्रुटिहीनता सुनिश्चित करने के उपरान्त संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूचियों को जनपद/जिला पंचायत की शिक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे.

5. **चयन :**

5.1 जनपद/जिला पंचायत की शिक्षा समिति अपनी बैठक में विचारोपरान्त उम्मीदवारों के चयन का प्रस्ताव पारित करेंगी.

5.2 प्रत्येक शिक्षाकर्मी, को शाला विशेष के लिये रखा जावेगा व किसी भी स्थिति में उनका स्थानान्तर दूसरी शाला में नहीं किया जावेगा. शिक्षाकर्मी को मात्र शिक्षा सत्र की अवधि तक के लिये रखा जाएगा.

5.3 प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद कि चयन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हुआ है, शिक्षाकर्मियों को रखने के आदेश जारी किए जाएंगे. यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षकर्मियों को रखने संबंधी आदेश जारी करने के लिये केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही सक्षम है. चयनित अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष कार्यभार लेने हेतु उपस्थित होना होगा.

5.4 यदि चयनित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा योग्यता सूची में अंकित अगले व्यक्ति को रखा जावेगा. जिसे संबंधित जिला/जनपद पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो.

5.5 यह भी कि जिस स्कूल में उर्दू भाषा पढ़ने वाले दस या अधिक संख्या में छात्र हों तो जनपद पंचायत शिक्षाकर्मियों की भरती करते समय ऐसे शिक्षाकर्मियों की भरती भी सुनिश्चित करेगी जो उर्दू भाषा भी ऐसे स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ा सकें.

6. **प्रक्रिया, जहां निर्धारित मानदण्डों का पालन न किया गया हो:**

61. मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि शिक्षाकर्मियों का चयन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो. वे शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों को शिक्षा समिति के सम्मुख विस्तार से प्रस्तुत करेंगे.

6.2 शिक्षा समिति द्वारा शिक्षाकर्मियों को रखने संबंधी पारित प्रस्ताव में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिक्षाकर्मियों के रखने संबंधी आदेश जारी नहीं करेंगे तथा त्रुटियों को संबंधित जनपद पंचायत/जिला पंचायत की शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, शिक्षा समिति से अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर निवेदन करेंगे.

6.3 यदि शिक्षा समिति अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर ऐसा प्रस्ताव करती है, जो मानदण्डों के अनुरूप हो, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिक्षाकर्मियों को रखने के आदेश जारी करेंगे.

6.4 यदि जिला/जनपद पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा पारित संशोधित प्रस्ताव भी मानदण्डों के अनुरूप नहीं हुआ, तो जनपद पंचायत से संबंधित प्रकरण कमिश्नर को तथा जिला पंचायत से संबंधित प्रकरण आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को भेजा जावेगा. कमिश्नर/राज्य शासन प्रकरण में सुनवाई कर 15 दिन के अंदर अपने निर्देश कार्यपालन अधिकारी के पास भेजेंगे, जिन्हें मानने के लिये जनपद पंचायत/जिला पंचायत बाध्य होगी.

7. **शिकायतों का निराकरण :**

7.1 चयन प्रक्रिया संबंधी शिकायतें जनपद पंचायत/ जिला पंचायत में आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जा सकती हैं. शिकायतों के निराकरण हेतु शिक्षा समिति की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास तथा शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावेगा. इस बैठक में समिति को चयन प्रक्रिया के बारे में शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से समझना होगा.

7.2 यदि शिकायतकर्ता फिर भी संतुष्ट न हो, तो शिक्षक तथा सहायक शिक्षकों के संबंध में संभागीय आयुक्त को तथा व्याख्याता के संबंध में शासन को अपील कर सकते हैं. अन्य किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं किया जावेगा.

8. **प्रशासकीय नियंत्रण :**

8.1 शिक्षाकर्मी को एक माह शाला में सेवा करने पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी. आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को होगा.

8.2 अनधिकृत अनुपस्थिति की दशा में शिक्षाकर्मी के मानदेय से प्रतिदिन के हिसाब से निम्नानुसार कटौती की जावेगी :—

सहायक शिक्षक के पद पर शिक्षाकर्मी	—	रुपये 20 प्रतिदिन
शिक्षक के पद पर शिक्षाकर्मी	—	रुपये 25 प्रतिदिन
व्याख्याता के पद पर शिक्षाकर्मी	—	रुपये 35 प्रतिदिन

8.3 प्राधानाध्यापक/प्राचार्य शिक्षाकर्मियों की उपस्थिति का अभिलेख रखेंगे. इसका सत्यापन प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जावेगा.

8.4 शिक्षाकर्मी के विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना, अकर्मण्यता, अनियमितता आदि के लिए कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित जिला/जनपद पंचायत को होगा. निष्कासन के विरुद्ध अपील करने का अधिकार 7.2 में दर्शाए अनुसार होगा.

9. **वित्तीय प्रावधान :**

9.1 जिला/जनपद पंचायतों को नियत अवधि के लिये शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा. प्रत्येक जिला जनपद पंचायत को उनके द्वारा रखे गये शिक्षाकर्मियों की संख्या के अनुरूप अनुदान देय होगा. प्रत्येक शिक्षाकर्मी को निम्नलिखित दर से उनके द्वारा किये गये कार्यावधि के लिये मानदेय का भुगतान किया जाएगा :—

क्र.	श्रेणी	मानदेय की दर प्रतिमाह
1.	सहायक शिक्षक पद पर शिक्षाकर्मी	500/- रुपये
	प्रशिक्षित (बी.टी.सी./बी.एड.)	600/- रुपये
2.	शिक्षक पद पर शिक्षाकर्मी	700/- रुपये
	प्रशिक्षित (बी.टी.सी./बी.एड.)	800/- रुपये
3.	व्याख्याता पद पर शिक्षाकर्मी	1,000/- रुपये

यह मानदेय दस माह की अवधि अथवा शिक्षाकर्मी द्वारा सत्रान्त तक किए गए कार्य दिवस, जो भी कम हो, के लिये देय होगा.

9.2 प्रत्येक शिक्षाकर्मी को एकमुश्त रुपये 100/- प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता हेतु भुगतान किया जायेगा. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण संस्था द्वारा सम्पन्न किया जायेगा.

9.3 प्रत्येक जिला/जनपद पंचायत को रुपये 1,000/- का एकमुश्त भुगतान विज्ञापन तथा चयन प्रक्रिया संबंधी प्रशासनिक व्यय हेतु दिया जावेगा.

10. **हिसाब का रख-रखाव :**

10.1 शासन द्वारा प्रत्येक जिला/जनपद पंचायत को तिमाही अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.

10.2 शिक्षाकर्मियों को भुगतान करने हेतु राशि शासन द्वारा निर्धारित बजट शीर्ष से बंटन के अनुसार आहरित की जाएगी.

10.3 व्यय का हिसाब जिला/जनपद पंचायत द्वारा रखा जाएगा तथा प्रतिमाह जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से आयुक्त, आदिवासी विकास को निर्धारित प्रारूपों पर प्रस्तुत किया जाएगा.

11. अतिरिक्त अधिकार :

11.1 शासन को यह अधिकार होगा कि अतिरिक्त शर्तें व वर्तमान शर्तों, में संशोधन करें.

11.2 निर्धारित मापदण्डों में अधिकार एवं अपील आदि के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण शासन द्वारा ही प्रदत्त किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(मंत्रालय)

क्र. एफ-4-328/94/1/25

भोपाल, दिनांक 1-4-95

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—ग्रामीण क्षेत्रों में आदिम जाति कल्याण विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के बारे में.

आपको यह विदित ही है कि 73वें तथा 74वें संविधान के संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शीघ्र ही लागू होने जा रही है. त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जा चुका है तथा नवगठित त्रिस्तरीय पंचायतों के अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जा चुका है. दिनांक 12 जुलाई, 94 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चल रहे समस्त स्कूल जनपद पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे. इन सभी स्कूलों के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जनपद पंचायत का रहेगा. इन स्कूलों में पदस्थ सभी शासकीय सेवक तथा नीचे दर्शाये अनुसार नियुक्त किये जाने वाले शिक्षाकर्मी जनपद पंचायत के कार्यकारी नियंत्रण के अधीन रहेंगे.

2. जनपद पंचायतों को उपरोक्तानुसार हस्तांतरित स्कूलों में शासन द्वारा भविष्य में नवीन सीधी नियुक्ति अथवा भरती नहीं की जावेगी. स्कूलों में सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और व्याख्याताओं के पदों पर जहां भी सीधी भरती/नियुक्ति का प्रावधान है उन पर पंचायतें निम्नानुसार निश्चित मानदेय पर शिक्षाकर्मी नियुक्त कर सकेगी, किन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा व्याख्याताओं के पदों पर सीधी भरती हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं, जिन पर सीधी भरती की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण हो जावेगी. इसलिये फिलहाल व्याख्याताओं के पदों पर इस वर्ष जनपद पंचायतों द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी. इसके उपरान्त व्याख्याताओं की सीधी भरती पंचायतों द्वारा की जा सकेगी. रिक्त पदों की जानकारी इस विभाग के अधीनस्थ जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण एवं संभाग स्तर से सीधी भरती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास/ उप संचालक, आदिम जाति कल्याण द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी :—

(अ) ग्राम पंचायत में रिक्त प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की ''शिक्षाकर्मी'' के रूप में नियुक्ति जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी. ग्राम पंचायत, डोंडी पिटवा कर आवेदन लेगी तथा चयन कर पांच नामों का पेनल जो निम्न श्रेणियों से लिये जाएंगे, जनपद पंचायत को भेजेंगी:—

वर्ग		संख्या
1.	अनुसूचित जाति का उम्मीदवार	1
2.	अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार	1
3.	अन्य पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार	1
4.	सामान्य वर्ग का उम्मीदवार	1
5.	महिला	1
	योग . .	5

(ब) शेष प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं, हाईस्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षाकर्मी की नियुक्ति भी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी.

(स) उच्चतर माध्यमिक विद्यालायों में व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध शिक्षाकर्मी की नियुक्ति विषयवार जिला पंचायत द्वारा की जाएगी. उपरोक्तानुसार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति किसी भी दशा में एक से अधिक शैक्षणिक सत्र की अवधि के लिये नहीं होगी. शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियां शासन द्वारा जिलों के लिये सरकारी नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों के लिये धारित किये गये आरक्षण के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुरूप की जाएगी.

3. सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता पद के विरुद्ध चयन किये जाने वाले शिक्षाकर्मी के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वही रहेगी जो सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता पद के लिये शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित है. यहां स्पष्ट किया जाता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत स्कूलों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप शिक्षाकर्मियों का चयन किया जायेगा.

4. शिक्षाकर्मियों को निम्नानुसार प्रतिमाह एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा :—

क्रमांक	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
1.	सहायक शिक्षक पद के विरुद्ध पदस्थ शिक्षाकर्मी.	अ. हायर सेकेण्ड्री	रु. 500.00
		ब. हायर सेकेण्ड्री बी.टी.सी. के साथ.	रु. 600.00
2.	शिक्षक पद के विरुद्ध पदस्थ शिक्षाकर्मी.	अ. स्नातक	रु. 700.00
		ब. स्नातक एवं बी.एड.	रु. 800.00
3.	व्याख्याता पद के विरुद्ध पदस्थ शिक्षाकर्मी.	अ. स्नातकोत्तर	रु. 1000.00

5. शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति शाला विशेष के लिये ही होगी एवं एक शाला से दूसरी शाला में इनका स्थानांतर नहीं किया जाएगा. उपरोक्त पैरा 3 तथा 4 में वर्णित प्रक्रिया ही उर्दू विषय के शिक्षकों के पदों के विरुद्ध शिक्षाकर्मियों के भरने की भी रहेगी.

6. ये नियुक्तियां पूर्णतया अस्थायी होंगी एवं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के एवं बिना किसी कारण दर्शाते हुए इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

7. यदि उपरोक्त तीन वर्गों के कर्मीगण पांच वर्षों तक लगातार संतोषजनक सेवा कर लेते हैं तो राज्य शासन एक चयन प्रक्रिया अपनाकर उन्हें रिक्त पद के विरुद्ध शासकीय सेवा में नियमित नियुक्ति देने में विचार कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति पाने का अधिकार किसी शिक्षाकर्मी को नहीं होगा.

8. आपको विदित है कि केवल सहायक शिक्षक को छोड़कर शिक्षक एवं व्याख्याता संवर्गों की रिक्त पदों की पूर्ति इस विभाग के भरती पदोन्नति नियम के अनुसार 50% पद पदोन्नति से एवं शेष 50% सीधी भरती से भरे जाते हैं. अत: स्पष्ट है कि ऊपर बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार केवल सीधी भरती के कोटे के अन्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार नियुक्तियां की जावेंगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न पदों में पदोन्नति वाली रिक्तियां वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा भरी जावेंगी. उपरोक्त पदों पर नई नियुक्तियां शासन द्वारा सीधी भरती से नहीं की जावेंगी.

9. आपसे अनुरोध है कि कृपया आपके जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण तथा उपायुक्त, आदिवासी शिक्षा संभागीय उप संचालक, आदिम जाति कल्याण से ऊपर बताये गये अनुसार सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता (विषयवार) के रिक्त पदों को स्कूलवार जानकारी प्राप्त कर संबंधित जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से उन पदों की पूर्ति ऊपर बतायी गई प्रक्रिया के अनुसार कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें. कृपया की गई कार्यवाही से आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल को (अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा) अनिवार्य रूप से सूचति करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./—
(एस. एन. ध्रुव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

टीप.—यह केवल उदाहरण के लिए प्रारूप है.

परिशिष्ट-I

कार्यालय जनपद पंचायत/जिला पंचायत . . . ., म. प्र.

क्रमांक . . . .

दिनांक . . . .

विज्ञापन

सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता के रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मियों की भर्ती

1. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्र. . . . ., दिनांक . . . . के तारतम्य में जनपद/जिला पंचायत . . . . अपने क्षेत्र के निम्न विद्यालयों में स.शि./शिक्षक/व्याख्याता के रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मियों की भरती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन दिनांक . . . . तक निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित करती है. भरती की शर्तें एवं अन्य जानकारी नीचे दिये अनुसार है :—

2. **रिक्तियां :—**

क्र. (1)	विद्यालय का नाम (2)	रिक्त पद का नाम (3)	विषय/समूह (4)	पद किस श्रेणी हेतु आरक्षित है (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

कुल रिक्त पद :

3. **आरक्षण :**

अ. जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु आरक्षण उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार रहेगा. पात्र महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पद उसी श्रेणी के (अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग) पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरा जा सकेगा. भू. पू. सैनिकों एवं विकलांगों के लिए शासन के निर्देशानुसार आरक्षण रहेगा.

4. **आयु :**

उम्मीदवार की आयु दिनांक 1-7-95 को 18 वर्ष से कम अथवा 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए. अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को ज्ञापन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

5. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :**

सहायक शिक्षक पद हेतु — हायर सेकेण्डरी

शिक्षक पद हेतु — संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि

व्याख्याता पद हेतु — संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि

बी.टी.सी./बी.एड. उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी.

6. **अन्य अनिवार्य योग्यता :**

यह योग्यता पंचायत द्वारा विज्ञापन जारी करने के पूर्व नियत की जाएगी तथा यहां प्रविष्टि की जाएगी.

7. **चयन प्रक्रिया :**

चयन मेरिट के आधार पर होगा अर्थात् अर्हक परीक्षा में सर्वाधिक प्रतिशत वाले उम्मीदवार का सर्वप्रथम चयन होगा. बी.टी.आई./बी.एड. उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी. सफल उम्मीदवारों की पदस्थापना शाला विशेष के लिए ही होगी तथा किसी भी स्थिति में इनका स्थानान्तर दूसरी शाला में नहीं हो सकेगा. शिक्षा कर्मी की नियुक्ति मात्र वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए ही होगी तथा तत्पश्चात् स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी.

8. **मानदेय :**

सहायक शिक्षक	बिना बी.टी.आई./बी.एड.	500/- प्रतिमाह
	बी.टी.आई./बी.एड.	600/- प्रतिमाह
शिक्षक	बिना बी.टी.आई./बी.एड.	700/- प्रतिमाह
	बी.टी.आई./बी.एड.	800/- प्रतिमाह
व्याख्याता	—	1000/- प्रतिमाह

उक्त मानदेय दस माह की अवधि अथवा शिक्षा कर्मी द्वारा सत्रांत तक किये गये कार्य दिवस, जो भी कम हो, के लिए देय होगा.

9. समस्त आवेदन मु. का. अ., जनपद/जिला पंचायत को संबोधित किये जाएंगे. प्राप्त सभी आवेदनों की पावती जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियत दिनांक के पूर्व आवेदन जमा कर पावती प्राप्त करें. नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. डाक में देरी के लिए जनपद/जिला पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी.

10. बिना सक्षम अधिकारी के जारी किये हुए प्रमाण-पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा. समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सक्षम अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिए. अपूर्ण प्रमाण-पत्र संक्षिप्ततः निरस्त कर दिए जाएंगे.

11. प्रत्येक आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है.

(आवेदन-पत्र का प्रारूप)

सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता पद हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो

1. आवेदक का नाम . . . .
2. पिता का नाम (उप नाम सहित) . . . .
3. जन्म तिथि (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) . . . .
4. वर्तमान निवास का पता . . . .

. . . .

5. स्थायी निवास का पता . . . .

. . . .

6. दिनांक . . . . को आयु . . . . वर्ष . . . . माह . . . . दिन

7. अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग से है तो उसका नाम (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें). . . . .

8. रोजगार कार्यालय का नाम . . . .

पंजीयन क्र. . . . . दिनांक . . . .

9. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्रों/अंकसूचियों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करें) :—

परीक्षा का नाम	**संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय**	**वर्ष**	**विषय**	**श्रेणी**	**प्राप्तांक का प्रतिशत**	**संलग्नक क्रमांक**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. पद एवं स्कूल का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है. . . . .

11. शैक्षणिक अनुभव . . . .

. . . .

12. क्या भू.पू. सैनिक/विकलांग है? (सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें). . . . .

प्रमाण-पत्र

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है. यदि यह जानकारी असत्य पाई जाएगी तो मेरा आवेदन/उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी.

. . . .

स्थान : . . . .

हस्ताक्षर

नाम . . . .